04DD 069485

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : [illegible]
बाजारू मूल्य : रू0 30,50[illegible].00/-
स्टाम्प शुल्क : रू0 [illegible]/-
[illegible]

यह विक्रय विलेख [illegible] पुत्र [illegible] निवासी ग्राम [illegible], परगना, तहसील व जिला: लखनऊ [illegible] विक्रेता कहा गया है, एवं [illegible] पुत्र [illegible]

[illegible]

II 400 005486

निवासी ग्राम –जगनपुरवा, बेरागढ़ी, जिला फतेहपुर जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा 679, 680, 681, 682, 685, 686, 687, 692, 709, 745 कुल रकबा 2.800 हैक्टेअर स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला, लखनऊ, का मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 45 के

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

04OJ 106496

अनुसार भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व

25000 25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

04CD 008497

A.T.O./T.O. TRY LKO

साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का

25000

25000 25000

G40D 008496

पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तदर्थ उपरोक्त सम्पत्ति को प्रतिफल राशि रू. 27,50,916/- (सत्ताईस लाख पचास हजार नौ सौ सोलह रूपये) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता सभी स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के पक्ष में प्रतिफलित

25000 25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

0400 008499

वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा

25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

0400 008500

के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

04DC 008501

26 OCT

A.T.O/T.D.
TRY LKO

कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। यह

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

0400 008502

A.T.O/T.O.
TRY.LKO

स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

9400 008503

इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगें, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम जहमामऊ, अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 2.800 हेक्टेयर की मालियत 30,80,000/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि

25000 25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

0400 008504

की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 5,25,700/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मीटर के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लोक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है।

25000 25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

040D 008505

विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

25000 INDIA NON JUDICIAL 25000

25000

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

8400 086490

A.T.O/T.O.
TRY.LKO

- 13 -

परिशिष्ट : निवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा 679, 680, 681, 682, 685, 686, 687, 692, 709, 745 कुल रकबा 2.800 हेक्टेयर स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला, लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा नं0 679 रकबा 0.126 हेक्टेयर

पूरब	: खसरा संख्या–687
पश्चिम	: खसरा संख्या–676

25000 25000
INDIA NON JUDICIAL
25000
25000 25000
पच्चीस हजार रुपये
0400 008493

A.T.O.(T.)
TRY. LKO.

उत्तर	: खसरा संख्या–680
दक्षिण	: खसरा संख्या–678

खसरा न0 680 रकबा 0.225 हेक्टेअर

पूरब	: खसरा संख्या–681, 687
पश्चिम	: खसरा संख्या–676, 674
उत्तर	: खसरा संख्या–673
दक्षिण	: खसरा संख्या–679

[illegible]

कृ०न०[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

25000 25000

04CU 068192

खसरा नं० 681 रकबा 0.125 हेक्टेयर

पूरब	:	खसरा संख्या– 684, 606
पश्चिम	:	खसरा संख्या–680
उत्तर	:	खसरा संख्या–602
दक्षिण	:	खसरा संख्या–687

25000 भारतीय गैर न्यायिक 25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

0400 008493

खसरा नं० 682 रकबा 0.063 हेक्टेअर

पूरब	:	खसरा संख्या–683
पश्चिम	:	खसरा संख्या–672
उत्तर	:	खसरा संख्या–672
दक्षिण	:	खसरा संख्या–681

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

C 490 008494

खसरा नं० [illegible] रकबा 0.107 हैक्टेयर

पूरब		खसरा संख्या—[illegible], [illegible]
पश्चिम	:	खसरा संख्या—686
उत्तर	:	खसरा संख्या [illegible]
दक्षिण		खसरा संख्या—[illegible]

25000 25000

0ACD 008495

<u>सम्पत्ति का कुल रकबा 0.474 हेक्टेयर</u>

पूर्व	: खसरा संख्या - 665
पश्चिम	: खसरा संख्या—687, 698
उत्तर	: खसरा संख्या 664
दक्षिण	: खसरा संख्या—669

25000 25000

04CD 008487

खसरा नं0 687 रकबा 0.177 हैक्टेयर

पूरब	:	खसरा संख्या–686
पश्चिम	:	खसरा संख्या 679, 680
उत्तर	:	खसरा संख्या 681
दक्षिण	:	खसरा संख्या–688

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

04DD 008489

- 20 -

खसरा नं0 692 एकबा 0.443 हेक्टेयर

पूरब	: खसरा संख्या–698, 699
पश्चिम	: खसरा संख्या–691
उत्तर	: खसरा संख्या–693
दक्षिण	: खसरा संख्या–700

25000 25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

0400 008489

A.T.O.T.C.
TRY.LKO

<u>खसरा नं0 709 रकबा 1.030 हेक्टेयर</u>

पूरब	: खसरा संख्या–708
पश्चिम	: खसरा संख्या–711
उत्तर	: खसरा संख्या–710
दक्षिण	: खसरा संख्या–742

500 रु. Rs.500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

खसरा नं0 745 रकबा 0.360 हेक्टेयर

पूरब : खसरा संख्या 752, 750, 744

पश्चिम : रास्ता

उत्तर : खसरा संख्या 744

दक्षिण : खसरा संख्या–740

- 23 -

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

रु0 30,00,000/- (रुपये तीस लाख मात्र) द्वारा कैश आर्डर नं0 [illegible] दिनांकित 2[illegible].10.2004 पंजाब नेशनल बैंक, [illegible], जयपुर एवं रु0 22,58,916/- (बाईस लाख अट्ठावन हजार नौ सौ सोलह मात्र) द्वारा चैक। इस प्रकार कुल रु0 52,58,916/- (बावन लाख अट्ठावन हजार नौ सौ सोलह रुपया) विक्रेता को होगा

[illegible]

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लखनऊ
दिनांक 27.10.2004

गवाह

1. [illegible] Srivastava s/o B.L. Srivastava
[illegible] complex [illegible] Road
Lucknow

विक्रेता

2. [illegible]

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

मसविदाकर्ता

(वेंकट रमन सिंह)
एडवोकेट

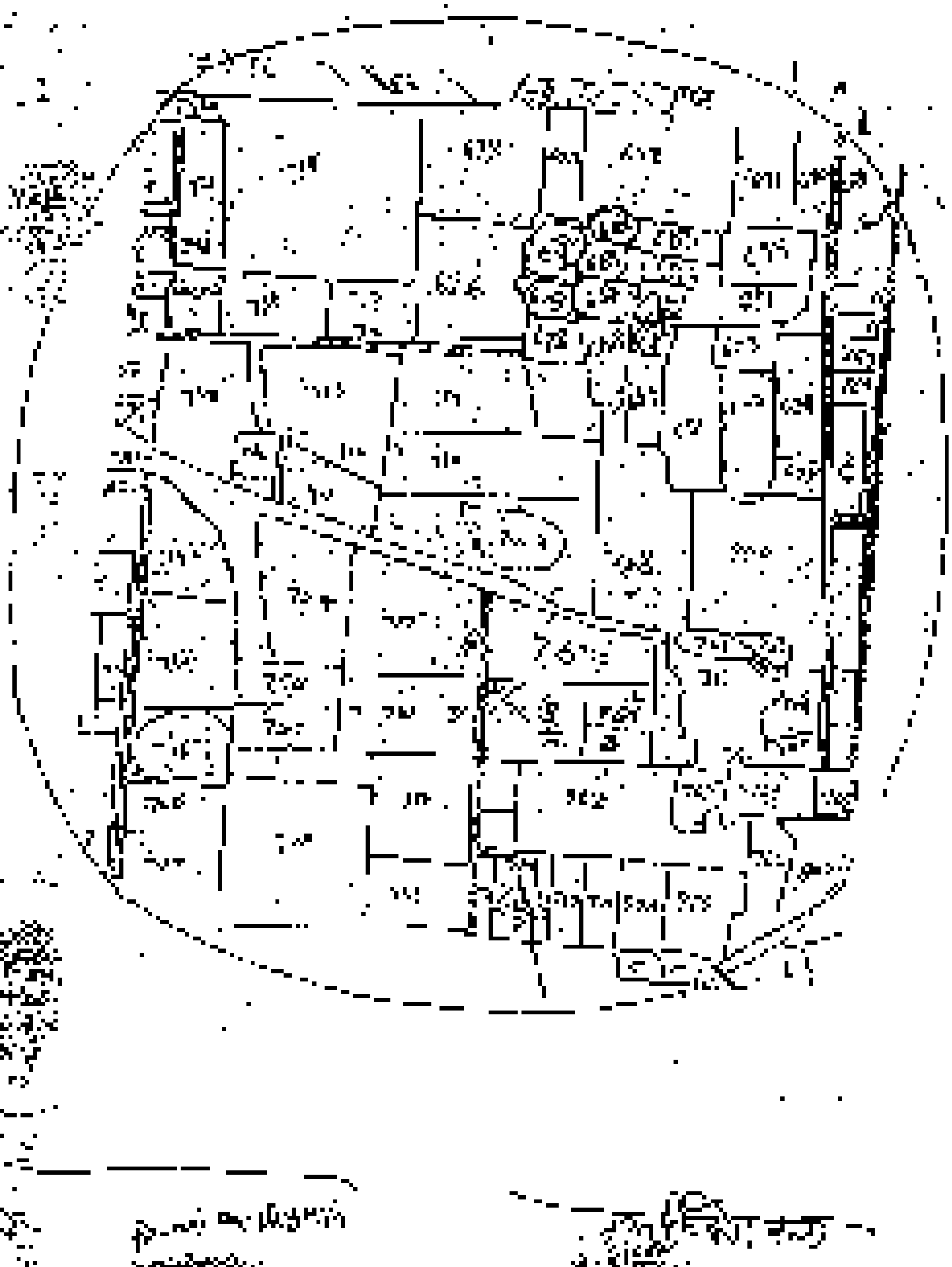

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अनुपालन
हेतु फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता ....

बांये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

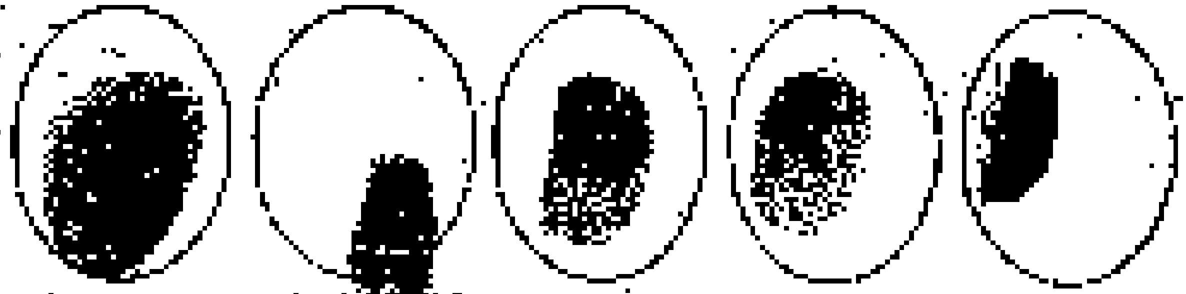

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता/प्रतिनिधि का नाम व पता ....

बांये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

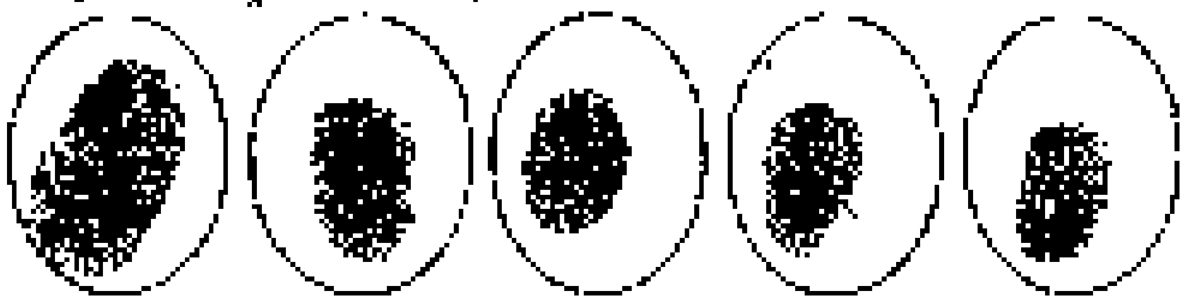

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह

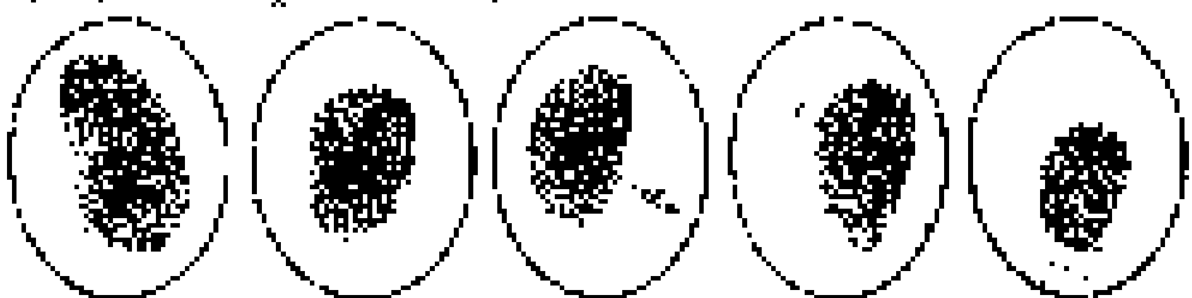

उपपंजीयक

आज दिनांक 01/11/2004 को

बही सं 1 जिल्द सं 6639

पृष्ठ सं 387 से 415 पर क्रमांक 2709

रजिस्ट्रीकृत किया गया

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ